संख्याः 4070(1)/9–आ–1–97

प्रेषक,

श्री अतुल कुमार गुप्ता,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष/मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।
2. समस्त विकास प्राधिकरणों के उपाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त नगर निगमों के मुख्य नगर अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।
4. विकास क्षेत्रों की नगरपालिका परिषदों के अध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।
5. प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

आवास अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 14 अगस्त, 1997

विषयः उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए पुनर्वास के लिए आनुकल्पिक भूमि या वास सुविधा नियमावली, 1997)

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 में उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1997 द्वारा बढ़ाई गयी धारा 26–क की उपधारा (4) के परन्तुक के साथ पठित अधिनियम की धारा 55 के अधीन उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण (निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए आनुकल्पिक भूमि या वास सुविधा) नियमावली, 1997 की एक प्रति संलग्न है। नियमावली के नियम 3 के अनुसार उक्त अधिनियम की संख्या 3 के प्रारम्भ होने की दिनांक को या उसके पूर्व किसी विकास क्षेत्र में सार्वजनिक भूमि पर निर्बल वर्ग के किस व्यक्ति द्वारा किये गये अतिक्रमण के सूची सम्पूर्ण विवरणों सहित तैयार करके सत्यापित की जानी है। सूची में दिये गये व्यक्ति के परिवार के प्रधान को ऐसे आकार की भूमि निर्मित, अर्द्धनिर्मित, अनिर्मित वास सुविधा की नोटिस जारी होनी है। दैनिक, साप्ताहिक या मासिक किश्तों में ऐसी भूमि या वास सुविधा की कीमत आवंटन आदेश में विनिर्दिष्ट होनी है और आवंटित से करार का निष्पादन किया जाना है तथा करार के 3 दिन के भीतर आवंटी द्वारा अतिक्रमण की सार्वजनिक भूमि खाली करने के एक घन्टे के भीतर उसे आवंटित भूमि या वास सुविधा का कब्जा दे दिया जाना है। यदि कोई आवंटी सार्वजनिक भूमि को खाली करने में विफल रहता है अथवा उसे दिया गया आनुकल्पिक भूमि या वास सुविधा का प्रस्ताव अस्वीकार कर देता है तो ऐसी आवंटित सार्वजनिक भूमि से बिना किसी नोटिस के हटा दिये जाने का पात्र होगा और यदि आवश्यक हो तो अतिक्रमण बलपूर्वक हटाया जा सकेगा। आवंटित भूमि या वास सुविधा स्थान का स्वामित्व रजिस्ट्रीकृत लिखत के माध्यम से आवंटित को अन्तरित होने तक वह सार्वजनिक भूमि बनी रहेगी। आवंटन के बिना कोई भूमि या वास स्थान किसी व्यकित के कब्जे में होने पर उसे सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण माना जायेगा। इसी प्रकार कोई व्यक्ति वैकल्पिक भूमि या वास सुविधा का प्रस्ताव किये जाने या आवंटित किये जाने के पश्चात् पुनः प्रवेश की स्थिति में धारा 26–क के प्रयोजनों के लिए अप्राधिकृत अभियोगी होगा, कोई व्यक्ति जिसे एक बार आनुकल्पिक भूमि या वास सुविधा का प्रस्ताव किया गया हो या दिया गया हो, पुनर्वास के लिए पुनः पात्र नहीं होगा।

2. यह विदित है कि अधिनियम में किय गये उक्त विषयक प्राविधान तथा नियमावली में की गयी व्यवस्था अविलम्ब लागू की जानी है अतएव यह अनुरोध है कि इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में शासन आवास विभाग को प्रत्यके मास में की गयी कार्यवाही की सम्पूर्ण प्रगति आख्या उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

अतुल कुमार गुप्ता
सचिव

संलग्नकः उपरोक्तानुसार।
संख्याः 4070(1)/9–आ–1–97 तददिनांक
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–
1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शसन, नगर विकास विभाग।
2. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग।
3. सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह पुलिस विभाग।
4. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, उत्तर प्रदेश।
5. आवास विभाग के समस्त अधिकारी और अुनभाग।

आज्ञा से,

रामवृक्ष प्रसाद
संयुक्त सचिव